हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 09 सितम्बर, 2020

संख्या वि0स0–विधायन–सरकारी विधेयक/1–07/2020.–हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 140 के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (2020 का विधेयक संख्यांक 8) जो आज दिनांक 09 सितम्बर, 2020 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्वसाधारण की सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–
सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2020 का विधेयक संख्यांक 8

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 2 का संशोधन ।
3. धारा 6 का संशोधन।
4. धारा 8 का संशोधन ।
5. धारा 11 का संशोधन।
6. धारा 11 अ का लोप ।
7. धारा 14 अ का लोप।
8. धारा 59 का संशोधन ।
9. धारा 61 का प्रतिस्थापन।
10. धारा 62 का संशोधन ।
11. धारा 93 का संशोधन।
12. धारा 97 क का संशोधन।

2020 का विधेयक संख्यांक 8

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020

(विधानसभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

2. **धारा 2 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का 3) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 2 के खण्ड (1) और (1अ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

(1) ''लेखा परीक्षक'' से, लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षकों या लेखा परीक्षा फर्म या धारा 61 के अधीन गठित पैनल में यथा सम्मिलित सरकार का कोई अधिकारी/पदधारी अभिप्रेत है;

(1अ) ''उप–विधि'' से, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी गई उप–विधि अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत उप–विधि का रजिस्ट्रीकृत संशोधन भी है;

(1आ) ''कलक्टर'' से जिले का कलक्टर अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत जिलाधीश तथा राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन कलक्टर के कृत्यों का पालन करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त कोई अन्य अधिकारी भी है।

3. **धारा 6 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 6 में,–

(क) ''दस हजार'' शब्द जहां–जहां आते हैं के स्थान पर ''एक लाख'' शब्द रखे जाएंगे।

(ख) परन्तुक के अन्त में ''।'' चिन्ह के स्थान पर '':'' चिन्ह रखा जाएगा और तत्पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

''परन्तु यह और कि किसी प्राइमरी सहकारी बैंक का कोई वैयक्तिक सदस्य ऐसे बैंक की कुल संदत्त शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत से अधिक शेयर धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरणः––इस धारा के प्रयोजन के लिए ''प्राइमरी सहकारी बैंक'' से, ऐसा बैंक अभिप्रेत है जैसा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) में परिभाषित किया गया है।''।

4. **धारा 8 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(1) किसी सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार, आवेदन की विशिष्टियों को या तो मैन्युली या इलेक्ट्रानिक्ली तैयार किए गए आवेदन के रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और आवेदन को क्रमांकित करेगा और तत्पश्चात् सोसाइटी तथा इसकी उपविधियों को रजिस्ट्रीकृत करेगा यदि–

(क) प्रस्तावित सोसाइटी के उद्‌देश्य इस अधिनियम और तद्‌धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध न हो;

(ख) प्रस्तावित सोसाइटी के उद्‌देश्य सामाजिक न्याय के सिद्धान्त, जैसे विहित किए जाएं, से असंगत न हों।

5. **धारा 11 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(2) किसी सहकारी सोसाइटी की उप–विधियों के संशोधन हेतु आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रार, आवेदन की विशिष्टियों को या तो मैन्युली या इलेक्ट्रानिक्ली तैयार किए गए आवेदनों के रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा और आवेदन को क्रमांकित करेगा तथा तत्पश्चात् उप–विधियों में संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा, यदि–

(क) प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध न हों; और

(ख) प्रस्तावित संशोधन सामाजिक न्याय के सिद्धान्त, जैसे विहित किए जाएं, से असंगत न हो।

6. **धारा 11–अ का लोप.**––मूल अधिनियम की धारा 11 अ का लोप किया जाएगा।

7. **धारा 14–अ का लोप.**––मूल अधिनियम की धारा 14–अ का लोप किया जाएगा।

8. **धारा 59 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 59 में ''विनिर्दिष्ट की जाए,'' शब्दों और चिन्ह के पश्चात् किन्तु ''निक्षेप और उधार प्राप्त करेगी'' शब्दों से पूर्व ''मत देने वाले इसके सदस्यों से'' शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे।

9. **धारा 61 का प्रतिस्थापन.**––मूल अधिनियम की धारा 61 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

''**61. लेखा परीक्षा.**––(1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी संपरीक्षक द्वारा अपने लेखों की संपरीक्षा सहकारी वर्ष, जिससे लेखे सम्बन्धित हैं, की समाप्ति से छह मास के भीतर संपरीक्षित करवाएगी।

(2) सहकारी सोसाइटी के लेखे सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित संपरीक्षकों के पैनल से सोसाइटी की साधारण बैठक में अनुमोदित संपरीक्षक द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे। इसके प्राधिकृत संपरीक्षकों के पैनल की अर्हता, अनुभव, तैयार करने की रीति और सोसाइटी द्वारा संदत्त की जाने वाली संपरीक्षा फीस या पारिश्रमिक सहित संदाय करने की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाए।

(3) यदि लेखा परीक्षा के समय सोसाइटी के लेखे पूर्ण नहीं है तो उपधारा (2) के अधीन प्राधिकृत संपरीक्षक लेखे को सोसाइटी के व्यय पर लिखवा सकेगा।

(4) किसी सोसाइटी से संदेय संपरीक्षा फीस या पारिश्रमिक, यदि कोई है या सोसाइटी के लेखे लिखवाने के लिए उपगत व्यय धारा 90 में यथा उपबंधित रीति में वसूलीय होगा।

(5) जहां सहकारी सोसाइटी उपधारा (1) (1949 का 10) के अनुसार अपने वार्षिक लेखों की संपरीक्षा करवाने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार सोसाइटी के लेखों को सोसाइटी के व्ययों पर संपरीक्षित करवाएगा।

(6) जहां रजिस्ट्रार की राय है कि किसी सहायता प्राप्त सोसाइटी के कार्यकलाप धारा 48 के उपबन्धों के अनुसार सहकारी सिद्धान्तों या प्रज्ञापूर्ण वाणिज्यिक परिपाटी या इस अधिनियम, नियमों या उप विधियों के उपबन्धों के अनुसार प्रबन्धित नहीं किए जा रहे हैं, तो वह आदेश द्वारा, ऐसी विशेष लेखा परीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा और इस अधिनियम के उपबन्ध और संपरीक्षा को लागू नियम ऐसी विशेष संपरीक्षा के लिए भी लागू होंगे:

परन्तु यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है तो वह धारा 48 के उपबन्धों के अनुसार असहायता प्राप्त सोसाइटी की विशेष संपरीक्षा का आदेश दे सकेगा यदि सोसाइटी के कम से कम एक चौथाई सदस्यों द्वारा इस प्रभाव का अनुरोध किया गया है।

10. धारा 62 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (2) में ''रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति'' शब्दों के स्थान पर ''संपरीक्षक'' शब्द रखा जाएगा।

11. धारा 93 का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 93 की उपधारा (1) में खण्ड (ठ) और (ड) का लोप किया जाएगा।

12. धारा 97 क का संशोधन.——मूल अधिनियम की धारा 97(क) के खण्ड (iv) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(iv-क) ऐसे बैंक की समिति के अधिक्रमण के लिए यदि किसी आदेश को भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यपेक्षा के अनुसार इस धारा के अधीन किया है या किया गया है तो ऐसी समिति का कोई सदस्य ऐसे बैंक की समिति या किसी अन्य बैंक के लिए समिति के अधिक्रमण के आदेश की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए पुनर्निवाचित, पुनर्नियुक्त या पुनर्नामनिर्दिष्ट या पुनर्सहयोजित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा।

(iv-ख) कोई व्यक्ति, जो सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति के सदस्य के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी है, नामांकन पत्र दाखिल करते समय इस प्रभाव की घोषणा करेगा कि,—

(क) वह सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति, जो इस अधिनियम के अधीन अधिक्रमित की गई है, का कभी सदस्य नहीं रहा है; या

(ख) वह सहकारी बैंक की प्रबन्ध समिति, जो इस अधिनियम के अधीन पूर्वतर अधिक्रमित थी और ऐसे अधिक्रमण के आदेश की तारीख से समिति के दो कार्यकाल की अवधि समाप्त हो गई थी, का सदस्य रहा है।''।

————————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 (1969 का अधिनियम संख्यांक 3) को हिमाचल प्रदेश में सहकारी सोसाइटी से सम्बन्धित विधि को समेकित करने और संशोधित करने हेतु अधिनियमित किया गया था । 13 जनवरी, 2012 को अधिसूचित संविधान (सतानवें संशोधन) अधिनियम, 2011 के अधिनियमित होने से सहकारी सोसाइटी का गठन मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस संशोधन द्वारा; राज्य नीति के मार्गदर्शक सिद्धान्तों से सम्बन्धित अध्याय में नया अनुच्छेद 43 ख भी अन्तःस्थापित किया गया है जिसमें यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य को सहकारी सोसाइटी के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यशैली, लोकतान्त्रिक नियन्त्रण और व्यावसायिक प्रबन्धन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रयत्न करना होगा। इसलिए सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण और उसकी संपरीक्षा से सम्बन्धित उपबन्धों को भारत के संविधान के सतानवें संशोधन के अनुरूप लाने के आशय से हिमाचल प्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1968 में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक और समीचीन हो गया है।

इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने अनियमित जमा योजना प्रतिबन्ध अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया है जिसमें सहकारी सोसाइटी में गैर–सदस्यों से निक्षेप प्राप्त करना प्रतिबन्धित किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी सहकारी सेक्टर में सुधार करने हेतु कुछ सिफारिशें की हैं।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुरेश भारद्वाज)
प्रभारी मन्त्री।

शिमला :

तारीखः......................2020

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Bill No. 8 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2020

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title.
2. Amendment of section 2.
3. Amendment of section 6.
4. Amendment of section 8.
5. Amendment of section 11.
6. Omission of section 11-A.
7. Omission of section 14-A.
8. Amendment of section 59.
9. Substitution of section 61.
10. Amendment of section 62.
11. Amendment of section 93.
12. Amendment of section 97-A.

Bill No. 8 of 2020

THE HIMACHAL PRADESH CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) BILL, 2020

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Himachal Pradesh Co-operative Societies (Amendment) Act, 2020.

2. Amendment of section 2.—In section 2 of the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (3 of 1969) (hereinafter referred to as the "principal Act"), for clauses (1) and (1-a), the following shall be substituted, namely:—

(1) "Auditor" means an auditor or auditors or auditing firm or an officer or official of the Government as included in the panel constituted under section 61.

(1A) "Bye-law" means a bye-law registered or deemed to have been registered under this Act; and includes a registered amendment of the bye-law;

(1B) "Collector" means the Collector of a district and includes a Deputy Commissioner and any other officer specially appointed by the State Government to perform the functions of the Collector under this Act.

3. Amendment of section 6.—In section 6 of the principal Act,—

(a) for the words "ten thousand" wherever occur, the words "one lakh" shall be substituted; and

(b) in the end of the proviso, for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter following shall be inserted, namely:—

"Provided further that no individual member of a primary co-operative bank shall hold more than five percent of the total paid up share capital of such bank.

Explanation.—For the purpose of this section "primary co-operative bank" means a bank as has been defined in the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949).".

4. Amendment of section 8.—In section 8 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) On receipt of an application for registration of a co-operative society, the Registrar shall enter the particulars of the application in the Register of the applications to be maintained either manually or electronically, and give a serial number to the application and thereafter shall register the society and its bye-laws if—

(a) the aims of the proposed society are not contrary to the provisions of this Act and the rules made thereunder; and

(b) the aims of the proposed society are not inconsistent with the principles of the social justice, as may be prescribed.".

5. Amendment of section 11.—In section 11 of the principal Act, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:—

"(2) On receipt of an application for amendment of bye-laws of a Co-operative Society, the Registrar shall enter the particulars of the application in the Register of applications to be maintained either manually or electronically; and give a serial number to the application and thereafter may register the amendment in the bye-laws if—

(a) the proposed amendments are not contrary to the provisions of this Act and the rules made thereunder; and

(b) the proposed amendments are not inconsistent with the principles of the social justice, as may be prescribed.".

6. Omission of section 11-A.—The section 11-A of the principal Act shall be omitted.

7. Omission of section 14-A.— The section 14-A of the principal Act shall be omited.

8. Amendment of section 59.—In section 59 of the principle Act, after the words "received deposits", the words "from its voting members" shall be inserted.

9. Substitution of section 61.—For section 61 of the principle Act, the following shall be substituted, namely:—

"61. Audit. — (1) Every co-operative society shall cause to be audited its accounts by an auditor, within six months from the close of a co-operative year to which the accounts relate.

(2) The accounts of a co-operative society shall be audited by an auditor approved in the general meeting of the society from the panel of auditors notified by the Government in this behalf. The qualifications, experience, manner of preparation of the panel of auditors and authorization thereof; and audit fee or remuneration to be paid by the society along with the manner of making payment shall be such, as may be prescribed.

(3) If at the time of audit, the accounts of a society are not complete, the auditor authorized under sub-section (2) may cause the accounts to be written up at the expense of the society.

(4) The audit fee or the remuneration, if any, due from any society or the expenses incurred in writing up the accounts of a society shall be recoverable in the manner as provided in section 90.

(5) Where a co-operative society fails to get its annual accounts audited as per sub-section (1), the Registrar shall get the accounts of the society audited at the expense of the society.

(6) Where the Registrar is of the opinion that the affairs of any society aided as per the provisions of section 48, are not being managed in accordance with the co-operative principles or prudent commercial practices or the provisions of this Act, the rules or the bye-laws, he may by an order, provide for such special audit and the provisions of this Act, and the rules applicable to the audit shall also apply to such special audit:

Provided that the Registrar, if satisfied, may order special audit of a society not being aided as per the provisions of section 48, if a request to this effect is made by atleast one-forth members of the society.

10. Amendment of section 62.—In section 62 of the principal Act, in sub-section (2), for the words "Registrar or any person authorised by him", the word "auditor" shall be substituted.

11. Amendment of section 93.—In section 93 of the principal Act, in sub-section (1), the clauses (l) and (m) shall be deleted.

12. Amendment in Section 97-A.—In section 97-A of the principle Act, after clause (iv), the following shall be inserted, namely:—

"(iv-a) If an order for supersession of committee of such bank, as per the requisition of Reserve Bank of India, is made or has been made under this section, then no member of such committee shall be eligible for being re-elected, re-appointed, re-nominated or reco-opted on the committee of such bank or any other bank, for a period of ten years from the date of order of supersession of the committee.

(iv-b) Any person, who is a candidate for election to the member of managing committee of a co-operative bank, shall, while filing nomination paper, make a declaration to the effect that,—

(a) he has never been a member of the managing committee of a co-operative bank which has been superseded under the Act; or

(b) he has been a member of the managing committee of a co-operative bank which was earlier superseded under the Act and that a period of two terms of the committee has elapsed from the date of order of such supersession.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968 (Act No. 3 of 1969) was enacted to consolidate and amend the laws relating to the Co-operative Societies in the State. With the enactment of the Constitution (Ninety Seventh Amendment) Act, 2011, notified on 13th January, 2012, the formation of the Co-operative Societies has been made a fundamental right. Vide this amendment, a new article 43 B has been inserted in the chapter relating to the Directive Principles of the State Policy, wherein it has been provided that the State shall endeavor to promote voluntary formation, autonomous functioning, democratic control and professional management of the Co-operative Societies. Thus, in order to bring the provisions relating to registration of the co-operative societies and audit thereof, in consonance with 97th amendment of the Constitution, it is necessary and expedient to make suitable amendments in the Himachal Pradesh Co-operative Societies Act, 1968. Further, the Central Government has enacted the Unregulated Deposit Scheme Act, 2019, wherein receiving deposits from non-members in the Co-operative Societies have been barred. The Reserve Bank of India has also made some recommendations for making reforms in the co-operative sector.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(**SURESH BHARDWAJ**)
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The...................., 2020.